

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 1208/11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 30, 2022
सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-जौनपुर के अंतर्गत एन०एच० डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०6/47/2022/एफ०सी०/527, दिनांक 22.09.2022 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक-808/29-1, दिनांक 30.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के उपरोक्त पत्रांक-808/29-1, दिनांक 30.09.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1208 /11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, जौनपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-1, लो०नि०वि०, वाराणसी।

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c